न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 120/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एस.एम.एफ.जी. इण्डिया होम फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड (पूर्व नाम फुलर्टन इंडिया होम फाइनेन्स कम्पनी लि.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी विरेन्द्र सिंह राठौर, पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर तृतीय तल, पुराना नं. 307, नया नं. 165, पूनामल्ली हाई रोड़, मधुरावोयल, चैन्नई–600095 तमिलनाडू, कॉर्पोरेट कार्यालय छठा तल, बी विंग सुप्रीम आई.टी पार्क सुप्रीम सिटी, पवई, मुम्बई–400076, क्षेत्रीय कार्यालय केसल मॉल, प्रथम तल, प्लॉट नं. 115–ए, अपैक्स मॉल के सामने, टोंक रोड़ जयपुर

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **राजेश कुमार,** निवासी–झीगर बडी, झीगर छोटी, सीकर राजस्थान 332024 एवम खसरा नं. 516/83, ग्राम–झीगर बडी, तहसील–धोद, जिला सीकर राजस्थान 332024
2. **तारामणी गोविंद,** निवासी–झीगर बडी, झीगर छोटी, सीकर राजस्थान 332024 एवम खसरा नं. 516/83, ग्राम–झीगर बडी, तहसील–धोद, जिला सीकर राजस्थान 332024

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 10 फरवरी, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री बी.पी. गुप्ता** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **राजेश कुमार** एवं **तारामणी गोविंद** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **राजेश कुमार** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **खसरा नं0 516/83 में स्थित आवासीय**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

भूखण्ड, ग्राम–झीगर बडी, तहसील–धोद, जिला–सीकर, राजस्थान 332024 में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में गोविन्दराम पुत्र मेवाराम की भूमि, पश्चिम दिशा में राम देवी पत्नि रिछपाल पचार, उत्तर दिशा में गोविन्दराम पुत्र मेवाराम की भूमि एवं दक्षिण दिशा में गोविन्दराम पुत्र मेवाराम की भूमि स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹12,25,490/– (अक्षरे रूपये बारह लाख पच्चीस हजार चार सौ नब्बे)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **12.07.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **11.07.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।?

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **राजेश कुमार** एवं **तारामणी गोविंद** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **राजेश कुमार** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **खसरा नं0 516/83 में स्थित आवासीय भूखण्ड, ग्राम–झीगर बडी,**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

तहसील–धोद, जिला–सीकर, राजस्थान 332024 में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में गोविन्दराम पुत्र मेवाराम की भूमि, पश्चिम दिशा में राम देवी पत्नि रिछपाल पचार, उत्तर दिशा में गोविन्दराम पुत्र मेवाराम की भूमि एवं दक्षिण दिशा में गोविन्दराम पुत्र मेवाराम की भूमि स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **10 फरवरी, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर